श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2012 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति – यथा पंजी।

भू-लगान :-

भू-लगान से संबंधित अंचल अधिकारीयों से प्राप्त प्रवितेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी अंचल अधिकारियों द्वारा लगान वसूली विभागीय निदेश के अनुकुल की गयी है। सिर्फ अंचल अधिकारी टेटियाबम्बर का निर्धारित लक्ष्य से 47% कम है। अचंलवार लगान की वसूली निम्नवत है:-

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि 01.4.2011 से 31.03.2012 तक	प्रतिशत
1	सदर	911250.00	100%
2	जमालपुर	508860.00	97.33%
3	धरहरा	708567.00	95%
4	बरियारपुर	557296.00	95%
5	ह0 खड़गपुर	944985.00	99.82%
6	टेटियाबम्बर	386363.00	53.87%
7	तारापुर	660204.00	99.25%
8	असरगंज	381073.00	99.94%
9	संग्रामपुर	479915.00	93%
कुल वसूली		**5538513.00**	**93%**

इस तरह मुंगेर जिला में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल भू-लगान की वसूली मो0 5538513/- रूपये हुआ है। टेटियाबम्बर एक ऐसा अंचल है जिसमें हाल एवं बकाया की वसूली में कमी रही है। अंचल अधिकारी, टेटियाबम्बर को चेतावनी दी जाती है कि अन्य अंचलों के भाँति अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में शत-प्रतिशत वसूली करेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु सरकार को लिखा जाएगा। सभी अचंल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू-लगान जो कोषागार में जमा किया गया है, उसका सत्यापन कर रिटर्न एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें।

दाखिल खारिज :-

दाखिल खारीज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में अंचलवार निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है –

क्र0	अंचल का नाम	31.03.11 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.11 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.11 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	0	2376	263	2639	2177	309	2486	153
2	जमालपुर	6	1232	50	1288	1137	141	1278	10
3	धरहरा	0	745	108	853	717	86	803	50
4	बरियारपुर	3	1889	78	1970	1807	88	1895	75
5	ह0 खड़गपुर	0	1883	303	2186	1789	364	2153	33

6	टेटिया बम्बर	0	622	41	663	572	58	630	33
7	तारापुर	24	1900	176	2100	1705	267	1972	128
8	असरगंज	0	1544	229	1773	1396	202	1598	175
9	संग्रामपुर	0	890	107	997	820	132	952	45
कुल योग :-		33	13081	1355	14469	12120	1647	13767	702

सभी अचंल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 का लम्बित दाखिल खारीज वादों का निष्पादन सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत् समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

लोक भू-अतिक्रमण :-

लोक भू-अतिक्रमण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया है। विगत कई बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटाने का दायित्व अंचल अधिकारियों का है।

सभी अचंल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि चालू माह से कम से कम तीन-तीन अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण वाद प्रारंभ करें एवं समय सीमा के अन्दर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायेंगे। यदि इस कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो आप सबों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु सरकार को लिखा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर को निदेश दिया गया कि तारापुर एवं असरगंज रोड के सीमा पर अतिक्रमित भू-भाग को अतिक्रमण मुक्त करायें।

सैरात :-

सैरात संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला में कुल मो0 2392862/- रूपये की वसूली की गयी है। गत बैठक में सैरात से संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि सैरातों के बड़े बकायेदारों द्वारा सन्निहित राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करेंगे। परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा नीलाम पत्र दायर करने से संबंधित प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। उपसमाहर्त्ता प्रभारी माल सेस शाखा को निदेश दिया जाता है कि इस तरह के जितने भी मामले है संकलित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं अचंल अधिकारी द्वारा नीलाम पत्र की कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ताकि अंचल अधिकारी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।

अंचल अधिकारी सदर द्वारा बताया गया कि सदर अंचल अन्तर्गत दो हाट शिवकुँड लगना हाट एवं मोरिंग राईट हाट का बन्दोबस्ती होना है।जिसका सुरक्षित जमा क्रमशः 36800.00 रूपये एवं 11884.00 रूपये है। अंचल अधिकारी सदर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निदेश दिया गया कि यदि सुरक्षित जमा से अधिक राशि पर बन्दोबस्ती होतीं है तो बन्दोबस्ती अविलम्ब कर दी जाय, सुरक्षित जमा से कम होने की स्थिति में विभागीय वसूली की जाय।

केन्द्र प्रायोजित योजना :-

NLRMP योजना के तहत् 5 अंचलों यथा - सदर, धरहरा, खड़गपुर, तारापुर एवं संग्रामपुर में डाटा केन्द्र -सह- आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमडल द्वारा कराया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर अंचल में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शेष 4 अंचलों में पाया गया कि मार्च 31.03.2012 तक कार्य धीमी गति से हो रहा है।

अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निदेश पत्र भेजें कि वे 15 मई 2012 तक निर्माण कार्य पूर्ण करायें। सम्बन्धित अंचल अधिकारी अपने स्तर से भी अनुश्रवण कर संवेदक से यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न करायें।

भू-अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :-

विगत कई बैठक में जिला के सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर के अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि उनसे संबंधित राजस्व ग्रामों का भू-अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का प्रिंट आउट जो जिला राजस्व कार्यालय से भेजा गया है, उस प्रिंट आउट की शुद्धता की जाँच कर जिला राजस्व कार्यालय को भेजेंगे परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। आप अवगत हैं कि भू-सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ होने वाला है, जिसमें भू-अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक है। इस तरह से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारियों द्वारा विभागीय निदेश के अनुकुल कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी को चेतावनी दी जाती है कि अपने कार्यक्लाप में सुधार लायें अन्यथा बाध्य होकर आपकी सेवा पैतृक विभाग को वापस करने हेतु अनुसंशा की जाएगी।

खेसरा पंजी :-

खेसरा पंजी तैयार करने हेतु जिला के सभी अचंल अधिकारियों को विहित प्रपत्र जिला अवर निबंधक मुंगेर द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। सभी अचंल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि खेसरा पंजी विहित प्रपत्र में तैयार कर जिला अवर निबंधक कार्यालय को उपलब्ध अगली बैठक के पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे।

सम्पर्क सड़क :-

गत् बैठक में अंचल अधिकारी सदर, जमालपुर टेटियाबम्बर एवं संग्रामपुर को निदेश दिया गया था कि सम्पर्क सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे, परन्तु भू-अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्पर्क सड़क योजना से संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना के कार्यान्ववन हेतु भू- अर्जन का प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व भेजें। इस संबंध में विभाग से लगातार स्मार पत्र प्राप्त हो रहा है।

महादलित :-

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व में सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों में से गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1762 वासरहित परिवारों, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा एवं क्रयनीति के तहत 194 वासरहित परिवारों को जमीन खरीदकर आच्छादित कर दिया गया है। क्रयनीति के तहत निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ 23 महादलित परिवारों को आच्छादित करना शेष है। अचंल अधिकरी, जमालपुर एवं बरियारपुर को निदेश दिया गया कि भू-धारियों से सम्पर्क कर अगली बैठक के पूर्व भूमि चिन्हित कर वासरहित महादलित परिवारों को आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे।

गत् बैठक में सभी अंचल अधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में छूटे हुए महादलित परिवार को पुनः सर्वेक्षण कर उन्हें जमीन मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु अचंल अधिकारियों द्वारा पुर्नसर्वेक्षण करने सम्बन्धी प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द विभागीय निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अन्त में, धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

25/04/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 244/रा0, दिनांक 26-4-12/

प्रतिलिपि :-सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सभी अचंल अधिकारी मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/04/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 244/रा0, दिनांक 26-4-12/

प्रतिलिपि :-आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना/निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25/04/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।